

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

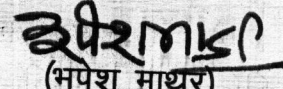
क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-407) अलेसे-1/ 987

दिनांक:- 18.11.2021

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 300/2020-21 दिनांक 27.01.2021 (क्रम संख्या 33) के द्वारा श्री रामगोपाल स्वामी के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गए थे, लेकिन तत्समय "जांच बकाया नहीं" होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। अतः यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामगोपाल स्वामी, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय उपकोषाधिकारी, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) के विरुद्ध आदिनांक को :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियों विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-407) अलेसे-1/ 987

दिनांक:- 18.11.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर।
3. उपकोषाधिकारी, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)।
4. श्री रामगोपाल स्वामी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय उपकोषाधिकारी, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(धीरज सिसोदिया)
निदेशक

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)